न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2020 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 17.02.2020
G.C.M.S. NO. :-2020/00053

मैसर्स वण्डर सीमेंन्ट लि., पंजीकृत कार्यालय मकराना–रोड, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर मुख्यालय–17, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर (राज.) तथा आर. के. नगर, निम्बाहेडा जिला चितौडगढ़ (राज.) जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

–प्रार्थी

बनाम

1–सुखदेव पिता गोपीलाल जाति चमार उम्र वयस्क निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–रमेश पिता गोपीलाल जाति चमार उम्र वयस्क निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति चमार उम्र वयस्क निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–मु. मोहनी पत्नि गोपीलाल जाति चमार उम्र वयस्क निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–डालीबाई पिता भैरूलाल जाति चमार उम्र वयस्क निवासी सावा, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6–मदनलाल पिता नन्दलाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनगर, पुरोहितों की मादडी, जिला उदयपुर (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति : 1– श्री नरेन्द्र कुमार नाहर, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री दिनेश दायमा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 5
3– श्री अकबर हुसैन, अधिवक्ता विपक्षी सं. 6

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 27/2020 (रे.वि.)
मै. वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम श्री सुखदेव पिता गोपीलाल जाति चमार निवासी मालियाखेडी वगैरा

निर्णय

दिनांक 06.04.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने यह आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि तहसील निम्बाहेड़ा में सीमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिए राज्य सरकार के खान विभाग द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22 (1), एम. एम. डी. आर. (संशोधन) एक्ट, 2015 एवं (खनिज, परमाणु और हाइड्रोकार्बन्स उर्जा से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के अन्तर्गत खनिज लाईम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु निकट ग्राम कारूण्डा, पायरी, धनोरा, मालियाखेडी की 255.0032 हैक्टेयर भूमि के लिये खनन कार्य करने हेतु खनन पट्टा अनुदान स्वीकृत किया, जिसकी लीज डीड प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में दिनांक 06.04.2018 को निष्पादित होकर उप पंजीयक निम्बाहेड़ा द्वारा पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी उक्त स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित खातेदारी की भूमि पर मुआवजा निर्धारण करा खनन कार्य करना चाहती है।

प्रार्थी कम्पनी की माइनिंग लीज क्षेत्र के समीप विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की निम्नांकित विवरण की आराजियात स्थित हैः-

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (है. मे)	किस्म
मालियाखेडी	217	0.43 है. में से 0.09 है.	चाही 3

उक्त भूमि की प्रार्थी कम्पनी को खनन प्रयोजनार्थ एवं अन्य आनुषांगिक प्रयोजनार्थ, आवागमन, सड़क निर्माण एवं श्रमिकों के आवास गृहों के निर्माण हेतु आवश्यकता है। विपक्षीगण की खातेदारी भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी को सीमेन्ट उत्पादन हेतु रोड़ के अभाव में आवश्यक कच्चा माल प्राप्त नही हो सकेगा तथा श्रमिकों के आवास गृह के अभाव में कम्पनी द्वारा सीमेन्ट उत्पादन किया जाना संभव नही हो सकेगा और सीमेन्ट उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि के अलावा खनन प्रयोजनार्थ आवागमन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यो हेतु माइनिंग लीज क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की उल्लेखित कृषि भूमि को खनन के आनुषांगिक प्रयोजनार्थ इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना-पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश दायमा ने तथा विपक्षी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अकबर हुसैन ने अधिकार पत्र एवं सहमति के जवाब प्रस्तुत किये। तहसीलदार निम्बाहेडा से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक निम्बाहेडा से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर प्राप्त की गई। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी को सीमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिए राज्य सरकार के खान विभाग द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत खनिज लाईम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु खनन कार्य करने के लिए खनन पट्टा अनुदान स्वीकृत किया है। प्रार्थी कम्पनी की माइनिंग लीज क्षेत्र के समीप विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की भूमि की प्रार्थी कम्पनी को माइनिंग एवं उसके आनुषांगिक प्रयोजनार्थ, आवागमन, श्रमिकों के आवास गृह के निर्माण हेतु आवश्यकता हैं, जिससे राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत खनन एवं उसके आनुषांगिक प्रयोजनार्थ मुआवजा निर्धारण कराया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी कम्पनी पारित अवार्ड अनुसार विपक्षीगण को अपनी कृषि भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। अतः उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारण कराया जाकर अवार्ड आदेश पारित फरमाया जावे व बाद भुगतान मुआवजा राशि भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाने व राजस्व अभिलेखों में भूमि प्रार्थी कम्पनी के नाम खनन के अन्य आनुषांगिक प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने कथन किया कि विपक्षीगण की कृषि भूमि की मुआवजा राशि स्वरूप वर्तमान प्रचलित बाजार दर एवं अन्य देय परिलाभों के साथ उचित मुआवजा राशि दिलाई जावे तो उक्त भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य हेतु देने को सहमत है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी कम्पनी को खनन के अन्य आनुषांगिक प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता है। विपक्षीगण ने उचित मुआवजा राशि व अन्य परिलाभ दिलाने पर, प्रार्थी कम्पनी को भूमि देने में सहमति दी है। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार इस भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	संरचना विवरण	कीमत संरचना(रूपये में)
1.	वृक्ष	7500
1.	फसल (मूंगफली कच्ची)	4000
	संरचनाओं का कुल योग	11500

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की **दर 13,15,278/-रूपये प्रति हैक्टेयर** होना बताया है। चूंकि भूमि का उपयोग खनन के आनुषांगिक कार्य हेतु लिये जाने से इस ग्राम की सिंचित आबादी एवं सड़क के पास की भूमि की निर्धारित उच्चतम दर की दुगुनी राशि की दर से अन्य प्रकरणों मे मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जिससे इस प्रकरण में भी जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित **दर का दुगुना 26,30,556/-रूपये प्रति हैक्टेयर से** भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जाना उचित मानते हुए उक्त भूमि एवं मौके पर पाई गई संरचनाओं का निम्नानुसार मुआवजा निर्धारण किया जाता है:-

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल (है. में)	प्रति हैक्टेयर (रू. में)	देयराशि (रू. में)
मालियाखेडी	217	0.43 है. में से 0.09 है.	2630556	236750
			कीमत संरचनाएं	11500
			योग	248250
			100 % सोलिशियम	248250
			कुल देय राशि	496500
अक्षरे चार लाख छिंयानवे हजार पांच सौ रूपये मात्र/-				

अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चैक तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के सबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में सन्तुष्टि के उपरान्त संबंधित को हिस्सानुसार राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेगें। उपरोक्त भूमि खनन एवं आनुषांगिक कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेन्ट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम माईनिंग लीज के अन्य आनुषांगिक प्रयोजनार्थ प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीजडीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन के आनुषांगिक कार्य हेतु उपयोग में ली जा सकेगी।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(के. के. शर्मा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official